कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–::कार्यालय आदेश::–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के परिशिष्ठ 1 के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनोपरान्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की पे. मेट्रिक लेवल एल–11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 25.03.2022 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्वि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष,संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। जो अधिकारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहते हैं। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त करें। प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 25.03.2022 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 26.03.2022 तक ई मेल **sogad2019@gmail.com** पर प्रेषित करेंगे।

क्रं. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	वर्ग	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
1	746/2014–15	मुकेश कुमार चौरसिया	राबामावि, पुराना थाना सदरबाजार, बांरा	20-03-62	GEN	जिशिअ मु0प्रा0शि0 बांरा	1-2-22
2	749/14–15	सुनील कुमार गुप्ता	राबाउमावि के0पाटन, बून्दी	01-08-66	GEN	मुजिशिअ बूंदी	1.03.22
3	788/14–15	सतीश कुमार	राबाउमावि तिलवाडा पीसांगन अजमेर	21-01-69	SC	जिशिअ मु0प्रा0शि0 अजमेर	1.03.22
4	823/14–15	पृथ्वीराज	राउमावि करवड जोधपुर	21-07-69	SC	मुजिशिअ जैसलमेर	1.03.22

Rajasthan Education Department

यदि किसी कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन हो गया हो तो सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी आदेश प्राप्ति के दिन ही यह आदेश कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर भिजवाते हुवें इस कार्यालय को सूचित करेगें। किसी कार्मिक के विरूद्व सीसीए नियमों /अन्य कारणो के तहत कार्यवाही विचाराधीन/प्रक्रियाधीन हो तो उन्हे कार्यमुक्त नही करें, सूचना इस कार्यालय को भिजवावें ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95(33/1) दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक संतान हो तो वें नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण हेतु पात्र नही होगें । सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र अधिकारी से प्राप्त करेगें ।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/3188/पदस्थापन/oa-os/21–22 दिनांक– 16/03/2022

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2– संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
2– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक।
3– सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4– सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान।
5– सम्बन्धित अधिकारी/गार्ड पंजिका।

उप निदेशक(प्रशासन)